

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./2010

जयपुर, दिनांक: 26/5/10

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यों के समय एवं टास्क के पुर्ननिर्धारण के संबन्ध में।

संदर्भ: विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 25.05.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 25.05.2010 के पैरा संख्या 3 में "यह व्यवस्था 26 मई, 2009 से लागू होगी" के स्थान पर "यह व्यवस्था 26 मई, 2010 से लागू होगी" पढ़ा जावे।

भवदीय

(एन.के.गुप्ता)

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ई.जी.एस

प्रतिलिप निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, /सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
4. निजी सचिव, सभांगीय आयुक्त, समस्त राजस्थान
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान
6. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ई.जी.एस